

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश (अखनक)**

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

अखनक दिनांक 15-5-2019

- कार्यालय ज्ञाप -

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अक्टूबर सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा तकनीकी विभाग संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, अखनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अखनक प्राथमिक शिक्षा परिषद, अखनक अखनक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवत् हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित तर्ज संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/अन्य हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मर-17 में डिप्लोमा इन कार्मेसी पाठ्यक्रम संबंधित कार्य वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मर-17 विचार-विमर्श का विभागत निर्णय लिया गया -

ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन कार्मेसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संक्षेप में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रधान वर्ष में प्रवेश को संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को सद्युक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कारन्वितिन में सम्मिलित कराया जा सके।

उक्त विस्तारपूर्वक सम्बंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-पेरेपेज द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय को अन्ततः पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखनक द्वारा सत्र 2019-20 हेतु सम्बंधित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उक्तमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जायेगी है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	8321	ए0आई0सी0टी0ई0 कार्मेसी संस्थान, प्रतपगढ़-200132	डिप्लोमा इन कार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 1982 तक प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं कानूनों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विभागत समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय कार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रतियोगिता/छात्रों से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ/छात्रों से शुल्क के सम्बंध में संस्था-समय पर सांगण द्वारा निर्धारित शुल्क अने वाले सांगणदेश प्रतपी हीरे, और सद्युक्त कार्मेसी किया जायेगा अन्ततः हीरे।

PRINCIPAL
SVI PWDACY COLLEGE
LALGANJ, PRATAPGARH

- समिति द्वारा यदि सत्र 2018-2019 हेतु वीज का पुनर्विचार किया जाता है, तो वीज की वर्धितता इसे लागू होगी।
- संस्था को विद्युत प्राधिकृत शिक्षा निदेशकों तथा उच्च शिक्षणियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाये।
- संस्था में वायुमय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षाओं को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों को शिक्षा एवं प्रशासन की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशानुसार ही प्रवेश को कार्यावली की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्मित सामग्रीयों को अनुसूचित विभाग एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को एडमिनिस्ट्रेशनल हेतु आगामी सत्र हेतु अनुसूचित प्राप्त किया जाये सम्बद्धता शुल्क होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराये गये विधि/विधान/अभियोग/साम-उद्देश्य/निर्देश एवं निर्देशक, प्राधिकृत शिक्षा, विद्युत, वायुमय प्रवेश परीक्षा परिषद, विद्युत तथा प्राधिकृत शिक्षा परिषद, पताको द्वारा बनाये गये विधान, विनियम, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को विधि बनाये होगी।
- शिक्षण ही कागजी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि सीटों/कक्षा हेतु दिल्ली में अनुसूचित प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में सम्बद्ध उत्तरदायित्व संस्था को होगा और विधिक रूप में दिल्ली की कार्यवाही में लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राधिकृत शिक्षा परिषद, अनुसूचित प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राधिकृत शिक्षा निदेशक तथा प्राधिकृत शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर गेट के संस्था में सा न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संकल्प आदेश निर्देश किया जाता है तो सम्बद्ध प्रतिपूर्ति सम्बद्ध संस्था को करनी होगी।
- शिक्षण ही कागजी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाओं की सम्बद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयिक प्रारम्भ होने के पूर्व एडमिनिस्ट्रेशन को अनुसूचित प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा, अन्यथा उन्हें प्रवेश की शिर्षकालिक को माध्यम में संस्था सत्र पर सीटों प्रवेशों अनुसूचित नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित वर्धितता आयुक्त विधानों को अनुसूचित कराना सम्बद्धता शुल्क होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बद्ध सूचनाएं वीज संस्था की प्रतिनिधित्व प्रतिपूर्ति स्टाम्प, साम-समझ, उपकरण, प्रस्त किया जाने वाला शुल्क, साधनात्म शुल्क आदि को विद्युत उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को शिक्षण-प्रतिफल हेतु उपर्युक्त जातायुक्त उपलब्ध कराने की साथ-सहित टिकने के सम्बन्ध में सम्बद्ध सम्बद्धता शुल्क सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था पर सुनिश्चित हो के कि संस्था में प्रस्तावित/संघालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशक - स्थिति में सम्बद्ध उपलब्ध कराये गये अभिलेख, मुनि-सदन, कमीषन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को सम्भालने में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरीक्षा का प्रयोग किसी अन्य कक्षा के लिए कर रही है तो सम्बद्धता शुल्क को सम्बद्धता सम्बद्धता शुल्क जमा की अनुसूचित की जायेगी।
- सम्बद्धता शुल्क को अनुसूचित न किया जाने संस्था सत्रों का उत्तरदायित्व किया जाने की स्थिति में निर्देशानुसार अनुसूचितसम्बद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(सतीश कुमार मिश्र)
सचिव

क्र- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2018/1132-2282

तद दिनांक: 19-8-2018

पतिवि-उद्यानाबाद/निदेशक एनएवीएएए कागजी कॉलेज, जालन्धर, उत्तरप्रदेश-230132





(सतीश कुमार मिश्र)
सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 2020-21 हेतु विस्तार सहित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का उल्लेख रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरीकवाईड द्वारा उन्हें पत्राचार अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरीकवाईड द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरीकवाईड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में शिरो मते उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरीकवाईड द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठरीकवाईड /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4111	एलपीएसके फार्मसी कॉलेज, जालपाय, प्रतापगढ़।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एलपीएसके फार्मसी कॉलेज/पीठरीकवाईड द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संशोधन विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन प्रतिशत इण्डियन रुपयों हेतु ₹ 20,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रम (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किए जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आगमन द्वारा निर्णय किये जाने वाले आगमनदायक प्रथमी होने, और तदनुसार कार्यवाही किए



प्रकार आवश्यक होगा। जैसा निर्देशन समिति द्वारा वर्ष सत्र 2020-21 हेतु बीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो बीस की नवीकरण की जायगी।

- ✓ संस्था को (आयुक्त प्रशिक्षण शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमबन्धी-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों पर ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उच्चतर प्रवेश सामान को निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आलमगढ़ के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुलभ जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एसआईटी/सीआई/पिएसीआई से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्चतर प्रवेश सामान द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अभियन्तरी/सहस्रार्थकों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रशिक्षण शिक्षा, आयुक्त, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, आयुक्त तथा प्रशिक्षण शिक्षा परिषद, आयुक्त द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्रवाई कार्यक्रम की सम्बद्ध यदि बीसीआई, आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिगत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षण शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रशिक्षण शिक्षा निर्देशालय एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग उच्चतर प्रवेश सामान को कोई भी बद बदल किया जाता है तथा उच्चतर वर्ष के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्रवाई कार्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उच्चतर प्रवेश सम्बद्ध द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयित के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उच्चतर प्रवेश सम्बद्ध द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीकरण आलमगढ़ नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रशिक्षण, स्टाफ, सत्र-समय, आयुक्त, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, छात्रवृत्ति सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त आलमगढ़ उपलब्ध करने के साथ वेबिन तकनीक के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आलमगढ़ पुनर्निर्धारण करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संबंधित कार्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-समन, कार्रवाई, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उच्चतर संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसंधान-समस्त कार्यवाही की जायेगी।

(20 कार्रवाई विधि)
सचिव

पुस्तक- आशिया/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

तद दिनांक 15-09-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, एसआईटी/सीआई, आलमगढ़, प्रतापगढ़।

(20 कार्रवाई विधि)
सचिव

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

एनए प्रौद्योगिकी केंद्र,

संख्या - आरपीए/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक- दिनांक- 09/08/2021

:-कार्यालय द्वारा:-

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषण संख्या 2021-22 हेतु दिल्ली/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विधायक प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विधायक/पारलोक्य/उपरोक्त प्रमाण पत्र/सिद्धि सर्टिफिकेट/अन्य नहीं पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विधायक प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, 30 00 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सिन्क्राइज्ड शर्तों के अधीन पारलोक्य एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विधायक प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4111-S.V.M.PHARMACY COLLEGE,LALGANJ,PRATAPGARH-230133			
क्रम सं०	पारलोक्य का नाम	एन-आईटी/आईआईटी/पीएनआईआईटी परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
		प्रवेश क्षमता	क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन-आईटी/आईआईटी/पीएनआईआईटी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्च प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, संशोधन विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्जीनियरिंग/पारलोक्य हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय परामेडी पारलोक्य हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पारलोक्य (दो वर्षीय परामेडी पारलोक्य के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रयोग करेगा/करावेगा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर वास्तव में निर्णय लिये जाने वाले वास्तविक प्रभावी होंगे, और अनुपालन कार्यावली किया जायेगा/करायेगा होगा। विश्व निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्विचार किया जायेगा है, तो फीस की नवीनताम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (3000 प्रौद्योगिकी शिक्षा समिति/तथा उच्च समिति/संस्थाओं को सम्बद्धता विधायक प्रदान) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रयोग दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उच्च प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित वास्तविकता के अनुसूचित निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 से अलग से अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उस प्रयोग सामग्री द्वारा बनाये गये विधि/विधियाँ/अभिनियमों/सामग्री/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च उच्च प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाने को मिलाने, विधियामें, अद्यतन, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ हिनोला इन फाईवी पाठ्यक्रम की संरचना यदि पी.सी.आई. एवं विज्ञान से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में संस्था उपाध्यक्ष संस्था का होगा और विधि अन्य से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित सामग्री को तुरंत वापस किया जाता है तथा वापस वाप के संबंध में वा. अध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ हिनोला इन फाईवी पाठ्यक्रम संरचना करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रयोग लक्ष्यता द्वारा प्रेषित वर्ष के लिये आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु साठसित्ति प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (साठसित्ति के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रयोग सामग्री द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत सहीराम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की ऐड्रेससिक पृष्ठ भूमि, स्तर, स्तर-संख्या, उपाध्यक्ष, प्राप्त किया जाने वाला सुका, सारांश सुका आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध करने के साथ विभिन्न टैकने के सम्बन्ध में संस्था उत्तरदायक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रत्यक्ष/ संबन्धित पाठ्यक्रम को बनाने वाले हेतु विशेष समिति के अध्यक्ष उपलब्ध कराने लगे अभिलेख, भूमि पत्र, कर्नाल, उपाध्यक्ष इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संरक्षण में प्रेषित किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रेषण किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निर्देशन टैकने यदि संस्था में भूमि, पत्र, प्रयोगशाला, उपाध्यक्ष एवं अन्य स्तर-संख्या ए0आइ0सी0टी0ई0/ पी0सी0आइ0/पी0सी0आइ0 के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का उपलब्ध किये जाने की विधि में नियन्त्रण अनुपालन/अन्य कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुंसां- प्राथम/प्राथम सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिरिति-

प्रधानाध्यक्ष/निर्देशक, S. V. M. PHARMACY COLLEGE, LALGANJ, PRATAPGARH-230132



(सुनील कुमार सोनकर)